विधान सभाओं के प्रति अथवा राष्ट्रपति शासन होने की स्थिति में संसद के प्रति जवाबदेह होती हैं। किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति को संकटपूर्ण नहीं कहा जा सकता और हमारी जानकारी के अनुसार कोई भी राज्य दिवालियेपन को छूने की स्थिति में नहीं है। दिनांक 31.12.96 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकारों की ओर से वित्त मंत्रालय को 139573.01 करोड़ रुपए की देयराशि बकाया थी। तथापि, यह राशि तत्काल पुनर्अदायगी के लिए बकाया नहीं है। वर्ष 1996-97 के दौरान राज्यों द्वारा मूल और ब्याज के रूप में वित्त मंत्रालय को 19737.83 करोड़ रुपये पुनर्भुगतान करना है। राशियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-पत्र में दर्शाया गया है। (**नीचे देखिए**)

(ग) राज्य सरकारों द्वारा भारत सरकार को ऋण का पुनर्भुगतान एक सामान्य प्रक्रिया है। ज्यादातर मामलों में राज्य सरकारें स्वयं पुनर्भुगतान कर देती हैं। कुछेक मामलों में ऋण के पुनर्भुगतान को राज्य सरकारों के केन्द्रीय अंतरण/आवंटन के स्थान पर समायोजित किया जाता है।

विवरण

दिनांक 31.12.96 की स्थिति के अनुसार राज्यवार बकाया राशि तथा 1996-97 के दौरान मूल तथा ब्याज के रूप में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय को पुनर्अदा की जाने वाली राशि को दर्शाने वाला विवरण पत्र

(करोड़ रुपए में)

राज्य		31.12.97 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि	1996-97 के दौरान पुनर्अदा की गई धनराशि
1.	आंध्र प्रदेश	10501.70	1412.61
2.	अरूणाचल प्रदेश	185.94	30.88
3.	असम	3649.91	548.52
4.	बिहार	9385.04	1316.82
5.	गोवा	800.54	85.67
6.	गुजरात	9433.40	1373.79
7.	हरियाणा	3489.34	597.08
8.	हिमाचल प्रदेश	1635.14	212.62
9.	जम्मू और कश्मीर	2788.51	412.14
10.	कर्नाटक	6560.22	926.53
11.	केरल	4498.51	646.44
12.	मध्य प्रदेश	6232.44	893.94
13.	महाराष्ट्र	15565.23	2132.83
14.	मणिपुर	195.47	27.03
15.	मेघालय	228.97	34.44
16.	मिजोरम	142.05	19.72
17.	नागालैण्ड	241.29	35.67
18.	उड़ीसा	4560.64	640.84
19.	पंजाब	10460.42	1587.28
20.	राजस्थान	6765.46	927.69
21.	सिक्किम	131.03	18.58
22.	तमिलनाडु	8283.94	1165.74
23.	त्रिपुरा	339.97	51.88
24.	उत्तर प्रदेश	20781.56	2920.32
25.	पश्चिम बंगाल	12708.29	1727.97
	कुल	139573.01	19737.03

Letters Received by SBI Central Office Mumbai Regarding State Bank of Indore

1062. SHRI GOVINDRAM MIRI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the number of letters received from the Members of Parliament by State Bank of India, Central Office, Mumbai during November-December, 1995 complaining that higher authorities of State Bank of Indore at Delhi are shielding some guilty employees;

(b) if so, whether an impartial enquiry of these letters has been conducted by the Central Office, Mumbai; and

(c) what directions are likely to be given regarding action against guilty employees and the officers; if not, the reasons for inordinate delay in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR): (a) to (c) The information is being collected and to the extent available will be laid on the Table of the House.

मूल खाद्य पदार्थों के डब्ल्यूपी॰ आई॰ में अन्तर होने के संबंध में प्रकाशित समाचार

1063. **श्री राम जेठमलानी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: